



# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

## JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

### नवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

**विज्ञप्ति संख्या - 07/2011**

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी राजकीय, राजकीयकृत विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय उत्कर्मित उच्च विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी बालिका उच्च विद्यालय एवं स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के नवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी नवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा आपूर्ति की जाएगी। परीक्षा संचालन का दायित्व विद्यालय प्रधान का होगा। प्रश्न-सह-उत्तरपुस्तिका के लिए माँग पत्र निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, कार्यालय राँची एवं संचाल परगना प्रमण्डल के सभी विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में जमा करेंगे। परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही माँग पत्र भरकर दें।

#### माँग पत्र जमा करने की तिथि

प्रमण्डल का नाम	तिथि
संचाल परगना एवं दक्षिणी छोटानागपुर	09.02.2011
उत्तरी छोटानागपुर	10.02.2011
पलामू	11.02.2011
कोल्हान	12.02.2011

#### परिषद् द्वारा निर्धारित माँग पत्र

विद्यालय का नाम	कुल छात्र-छात्राओं की संख्या	हिन्दी 'ए'	हिन्दी 'बी'	अंग्रेजी	बंगला	उड़िया	उर्दू	संस्कृत	अरबी	फारसी	हो	मुण्डारी	संथाली
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उरॉव	नागपुरी	खोरठा	पंच परगनिया	कुरमाली	खड़िया	गणित	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सामाजिक विज्ञान	वाणिज्य	गृह विज्ञान	संगीत	परिचायत्मक सूचना प्रौद्योगिकी (I.L.T)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

#### परिषद् द्वारा निर्धारित प्रश्न-सह-उत्तरपुस्तिका शुल्क देय राशि- 30/- रूपये (तीस रूपये) प्रति छात्र-छात्रा

परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। नये शिक्षा सत्र का प्रारम्भ 01.04.2011 से होगा। शुल्क की राशि MICR बैंक ज़ाफ्ट के माध्यम से "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" राँची के नाम से देय एवं राँची में भुगतये तथा "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" दुमका के नाम से देय एवं दुमका में भुगतान होगा।

**नोट:-** सरकार द्वारा प्रस्वीकृत अथवा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों को प्रश्न पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। जिन विद्यालयों द्वारा परिषद् स्तर से आपूर्ति प्रश्न पत्र सह-उत्तर पुस्तिका के आधार पर वर्ग 9 की परीक्षा नहीं ली जायेगी, वैसे विद्यालय के छात्र/छात्राओं की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2012 आयोजित करने का दायित्व परिषद् की नहीं होगी और इसके लिये सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य जिम्मेवार होंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

( यमुना गिरि )

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।